रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

**असाधारण**

**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**

**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 3726] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2019/कार्तिक 28, 1941**

**No. 3726] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2019/KARTIKA 28, 1941**

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2019

**का.आ. 4150(अ).—**अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, का.आ. 2606 (अ.), दिनांक 19 जुलाई, 2019 के संशोधन करने के लिए, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है ।

### प्रारूप अधिसूचना

अधिसूचना संख्या का.आ. 2606 (अ), द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को (इसके बाद इस अधिसूचना में उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित), भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन को अधिसूचित किया है और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में कुछ प्रतिबंध लगाए गए;

**और,** जबकि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 के अपने आदेश में मूल आवेदन संख्या 235/2017 में एम.ए.105/2019 में विपास पंडित बनाम भारत संघ के मामले में, उपरोक्त अधिसूचना को संशोधित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

**उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 4. में, क्रम सं. 5 के लिए और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के लिए शीर्षक "क. प्रतिषिद्ध कार्यकलापों" के तहत, तालिका में, 'पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के भीतर प्रतिषिद्ध अथवा विनियमित किए जाने वाले कार्यकलापों की सूची', निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगी, अर्थात्:-**

| क्र. सं. | क्रियाकलाप | विवरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| "5 | कीटनाशक/कीटनाशी/शाकनाशी के उपयोग सहित किसी भी खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।" |

**टिप्पणी :** प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, पैरा II, धारा 3, उप-धारा (ii) के का.आ. 2606 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2019 में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. 11/22/2017- ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2019

**S.O. 4150(E).**—The following draft of the notification, further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2606 (E) dated the 19th July 2019 , which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

### Draft Notification

**WHEREAS**, by the notification number S.O. 2606 (E), dated the 19th July, 2019 (hereafter in this notification referred to as the said notification), the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified an Eco-sensitive Zone surrounding the Keoladeo National Park in Rajasthan and imposed few restrictions in the said Eco-sensitive Zone;

**AND WHEREAS**, the Hon'ble National Green Tribunal *vide* its order dated 16th October, 2019 in M. A. 105/2019 in Original Application No. 235/2017, in the matter of Vipas Pandit Vs. Union of India, directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to amend the above said notification;

**NOW THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:—

**In the said notification in paragraph 4. 'List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone', in the TABLE, under the heading " A. Prohibited Activities", for serial No 5, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-**

| **S.No.** | **Activity** | **Description** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| "5 | Use or production or processing of any hazardous substances including the use of pesticides/ insecticides /herbicides. | Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.". |

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, para II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2606(E) dated the 19th July, 2019.

[F. No. 11/22/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.19 22:31:51 +05'30'